(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

Notification No. 28/2020– State Tax

Dated:25/.6/2020

No. F.2(275)/POLICY-GST/2020/936-46 In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April,2020 to September, 2020 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April,2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

3. This notification shall come into force with effect from the 23rd March, 2020.

24-6-20

(VIVEK PANDEY)
COMMISSIONER (STATE TAX)

No. F.2(275)/POLICY-GST/2020/936-46 **Dated:25/.6/2020**

Copy forwarded for information to:

1. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Chief Commissioner, Central Tax, Delhi, Govt. of India, C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi

6. All Special/Additional/Joint Commissioners, Department of Trade And Taxes, Vyapar Bhawan, I.P Estate, New Delhi.
7. The Special Commissioners (PR), Department of Trade And Taxes, Vyapar Bhawan, I.P Estate, New Delhi to arrange to give wide publicity to this notification.
8. All Asstt. Commissioners/GSTOs, Department of Trade And Taxes, Vyapar Bhawan, I.P Estate, New Delhi, through their Zonal Incharges.
9. The President/Secretary, Sales Tax Bar Association (Regd.), Department of Trade And Taxes, Vyapar Bhawan, I.P Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.

24/6/2020

(VIVEK MITTAL)
ASSISTANT COMMISSIONER (POLICY)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग
(नीति शाखा)
व्यापार भवन, आई. पी. इस्टेटः नई दिल्ली–110002.

अधिसूचना सं. 28/2020–राज्य कर

दिनांकः 25/6/2020

सं.फा. 2(275)/पॉलिसी/जीएसटी/2020/936-46– आयुक्त, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर–1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक बढ़ाते हैं ।

2. अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय–सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी

3. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2020 से लागू होगी।

विवेक/25/6/20

(विवेक पाण्डेय)
आयुक्त (राज्य कर)

सं.फा. 2(275)/पॉलिसी/जीएसटी/2020/936-46 दिनांकः 25/6/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. सचिव (सामान्य प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
3. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, भारत सरकार, प्रथम तल, सी.आर. भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली ।
4. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।

6. सभी विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, नई दिल्ली।
7. विशेष आयुक्त (पी.आर.), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, नई दिल्ली को अधिसूचना के प्रचार के लिए।
8. सभी सहायक आयुक्त/माल एवं सेवा कर अधिकारी, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, नई दिल्ली को अधिसूचना के प्रचार के लिए।
9. प्रेसिडेंट/सचिव, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन (पंजीकृत), व्यापार भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेब साईट।

24/6/2020

(विवेक मित्तल)
सहायक आयुक्त (नीति)